उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2
संख्या–वे0आ0–2– 251 / दस–54(एम) / 2008टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 07 फरवरी, 2009

संकल्प

पढ़ा गया : वेतन समिति (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–1 मे की गई संस्तुतियॉ।

पर्यालोचनार्थ– शासन द्वारा वेतन समिति के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–1 में नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर विचार किया गया। शासन ने वेतन समिति के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–1 में की गयी संस्तुतियों को निम्नानुसार स्वीकार कर लिया है :––

(1) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन में निर्धारित वेतन दिनांक 01–1–2006 अथवा दिये गये विकल्प की तिथि से देय होगा एवं महंगाई भत्ते की संशोधित दरें वेतन समिति की संस्तुति के अनुसार राज्य कर्मचारियों के समान देय होंगी।

(2) वर्तमान में उपलब्ध कोई वेतनमान यदि संस्तुति में सम्मिलित होने से छूट गया हो तो ऐसे वेतनमान के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन, समान Considerations के आधार पर निर्धारित किये जायेगें।

(3) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार किया जायेगा।

(4) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतन वृद्धि की दर एक समान 03 प्रतिशत तथा वेतन वृद्धि की तिथि समान रूप से सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 01 जुलाई रखी जायेगी।

(5) नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों के विभिन्न श्रेणी के ऐसे कार्मिक/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जिन्हें पेंशन की सुविधा पूर्व से राजकीय कर्मचारियों के सादृश्य अनुमन्य है, के लिए पेंशन पुनरीक्षण की वही प्रकिया अपनायी जायेगी जो प्रकिया राजकीय कार्मिकों/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में लागू की गयी है। साथ ही अन्य ऐसे सेवा नैवृत्तिक लाभ, जो पूर्व से राजकीय कार्मिकों के सादृश्य अनुमन्य हैं, का पुनरीक्षण भी राजकीय विभागों के कार्मिकों/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार किया जायेगा।

पृष्ठ

(6) नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 के रूप में 10 वर्ष, 20 वर्ष तथा 30 वर्ष की सेवावधि पर स्तरोन्नयन के रूप में अगला ग्रेड वेतन राजकीय कार्मिकों के संबंध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के सादृश्य अनुमन्य किया जायेगा।

(7) उक्त श्रेणी के कार्मिकों को मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन, सामूहिक बीमा योजना तथा प्रसूति अवकाश/बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) की संशोधित दरें/व्यवस्था इस संबंध में राजकीय कार्मिकों के विषय में वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी की जायेंगी।

(8) नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में पुनरीक्षित वेतन तथा मँहगाई भत्ता का दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से नकद भुगतान किया जायेगा।

(9) वेतन समिति के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–1 में नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति विषयक आदेश संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से अलग–अलग जारी किये जायेंगे।

(10) नगरीय स्थानीय निकाय एवं जिला पंचायतों के कर्मचारियों/अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्ते एवं सुविधाओं तथा अन्य लाभ दिये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संकमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी और इसे वहन करने का उत्तरदायित्व संबंधित निकाय/संस्था का ही होगा।

(11) राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकाय एवं जिला पंचायतों को संकमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि में से कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आवश्यक धनराशि को आरक्षित करते हुए शेष बची धनराशि तथा अपने स्रोतों से हुई आय की धनराशि से संबंधित निकाय अपनी अन्य विकास संबंधी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे। संकमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आवश्यक धनराशि से कम होने की स्थिति में अपने स्रोतों से एकत्र धनराशि में से कमी की पूर्ति किये जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि का उपयोग विकास कार्यो हेतु किया जायेगा।

(12) विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों/अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्ते एवं सुविधाएं तथा अन्य लाभ इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य कराये जायेंगे कि उक्त पर आने वाले व्ययभार को वहन करने हेतु राज्य सरकार

द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी तथा ऋणदाता वित्तीय संस्थाओं के देयों अथवा शासकीय देयों, यदि कोई हों, के भुगतान में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। प्राधिकरणों को अपने कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अनुमन्य कराये जाने से अधिष्ठान व्यय में होने वाली वृद्धि के आधार पर ऋणदाता संस्थाओं एवं शासकीय देयों, यदि कोई हों, के भुगतान में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

(13) जल संस्थान के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्ते एवं सुविधाएं तथा अन्य लाभ इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य कराये जायेंगे कि इसके फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को संबंधित जल संस्थान द्वारा ही वहन किया जायेगा तथा इससे जल संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत सामान्य जन को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(14) नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों के केन्दीयत एवं अकेन्द्रीयत सेवा के पदों के सृजन एवं इन पदों पर नियुक्ति हेतु मानक आदि निर्धारित किये जायेंगे। साथ ही इन मानकों आदि का समावेश करते हुए विभिन्न संवर्गो/पदों की सेवा शर्तो को विनियमित करने हेतु सेवा नियमावली प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध रूप से 06 माह में प्रख्यापित की जायेगी।

(15) नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों/अधिकारियों की वर्तमान संख्या को अगले 02 वर्षो तक इस प्रतिबन्ध के साथ फ्रीज़ रखा जायेगा कि अपरिहार्य परिस्थितियों में ही राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से यथावश्यकता पदों की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी। वर्तमान में जो पद बिना सक्षम स्तर/राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त किये हुए सृजित हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा अथवा सक्षम स्तर से ऐसे पदों के सृजन की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। इसके साथ ही भविष्य में नये पदों का सृजन बिना शासन की अनुमति के नहीं किया जायेगा।

(16) वेतन समिति (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–1 के प्रस्तर–39 (समूह–ग एवं समूह–घ के तकनीकी पदों पर भर्ती जिला स्तरीय चयन समिति की संस्तुति पर किये जाने सम्बन्धी संस्तुति तथा उप प्रस्तर–6 के पूर्वार्ध में अंकित अंश को छोड़कर) एवं प्रस्तर–40 में दिये गये सुझावों को स्वीकार किया गया।

(17) इस संकल्प के जारी होने के दिनांक से प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों में पदों पर भर्ती, पदों का सृजन तथा अस्थाई कर्मचारियों का स्थायीकरण पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही किया जायेगा।

(18) किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया जायेगा।

2— वेतन समिति के अध्यक्ष, सदस्यों तथा समिति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने जिस परिश्रम, अध्यवसाय व निष्ठा से अपना गुरूतर दायित्व निर्वहन करते हुए यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, शासन उसकी सराहना करता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन–साधारण की सूचना के लिए उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित किया जाय। संकल्प तथा वेतन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन भाग–1 वित्त विभाग की वेब साइट पर रखा जाय और सम्बन्धित विभागों को भी भेजी जायें।

यह भी आदेश दिया जाता है कि वेतन समिति के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–1 तथा संकल्प की प्रतियॉं, सम्बन्धित सेवा संघों और जनता के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध रखी जायें।

आज्ञा से,

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2– 251 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रतिवेदन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास, आवास एवं पंचायती राज विभाग उ0प्र0 शासन ।
4. सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 (25 प्रतियॉं)
7. सचिवालय के सम्बन्धित विभागों से सम्बन्धित समस्त अनुभाग।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।